(RCMS/NO- 2018/00027)

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– नरेन्द्र के. वर्मा (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः– 02/2018

**उनवान प्रकरण**

भारतीय आदर्श विधा मंदिर धौलपुर जरिये व्यवस्थापक हितेन्द्र त्यागी, भारतीय आदर्श विधा मंदिर हाऊसिंग बोर्ड स्कूल धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर .............. **प्रार्थी**

**बनाम**

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
2–लाखनसिंह पुत्र श्रीपति जाति जाटव निवासी निहालगंज कोठी धौलपुर

........................**अप्रार्थीगण**

**( प्रा0पत्र आधीन धारा 144 जा0दी0)**
**बवत रेस्टोर करने दाखिल खारिज संख्या 128**
**बॉके ग्राम झोर तहसील धौलपुर**

**उपस्थिति :–**

**प्राथी की ओर से :– श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट**
**अप्रार्थी सं01 की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक**
**अप्रार्थी सं02 की ओर से :– श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट**

**निर्णय** **दिनांक : 13.03.2020**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि खसरा संख्या 68/397 बॉके ग्राम झोर तहसील धौलपुर में से भूमि प्रार्थी ने भूमि के तत्कालीन खातेदार श्रीपति पुत्र धनपाल जाति जाटव से कय करके आधिपत्य प्राप्त किया, बयनामा दिनांक 17.12.1984 से कय किया, बयनामा का पंजीयन दिनांक 18.12.1984 को हुआ। विकय पत्र दिनांक 17.12.1984 के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 128 स्वीकार किया गया। नामान्तकरण संख्या 128 को निरस्त कराने के लिये अप्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान में रेफरेन्स की कार्यवाही प्रस्तुत की जिसका शीर्षक

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

राजस्थान सरकार बनाम तुलसीराम कंचन रहा, रेफरेन्स संख्या 128/94 था उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.1996 को स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 128 को निरस्त कराने हेतु रैफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष पेश किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने रेफरेन्स उनवानी राजस्थान सरकार बनाम तुलसीराम कंचन दिनांक 05.02.1997 को स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 128 निरस्त कर दिया। अप्रार्थी ने राजस्व रिकोर्ड में भी नामान्तकरण संख्या 128 को निरस्त कर दिया और पूर्व की स्थिति वहाल करदी। प्रार्थी ने व्यथित होकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरुद्व रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर मे प्रस्तुत की जिसका शीर्षक भारतीय आदर्श विद्या मन्दिर बनाम राजस्व मण्डल अजमेर रहा रिट नम्बर 6440/98 में रहा, उक्त रिट याचिका दिनांक 04.05.2006 को स्वीकार की जाकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनांक 05.02.1997 निरस्त कर नामान्तकरण संख्या 128 को बहाल स्वीकार किया है। राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 128 लोपित हो चुका है जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के आधीन पुनः पुर्नजीवित (रेस्टोर) किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी संख्या-2 लाखनसिंह को न्ययालय के आदेशानुसार पक्षकार बनाया गया है जिसका कोई हित नामान्तकरण संख्या 128 बॉके ग्राम झोर की आराजी से कमी नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 128 बॉके ग्राम झोर को राजस्व रिकार्ड में पुर्नजीवित (रेस्टोर) किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि अप्रार्थी लाखनसिंह के पिता श्रीपति पुत्र धनपाल जाति जाटव के नाम दिनांक 26.5.1982 को खसरा नम्बर 70/398 व 68/397 खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जिसके विरुद्व माननीय जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा उक्त खसरा नम्बरान के बावत 14(4) भूमि आवटंन अधिनियम 1970 के तहत कार्यवाही कर अपने आदेश दिनांक 15.6.1992 से उक्त आवंटन निरस्त कर दिया। श्रीपति द्वारा जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 15.6.1992 से व्यथित होकर अपील संख्या 7/93 माननीय आर.ए.ए. भरतपुर के समक्ष उनवानी श्रीपति बनाम सरकार के नाम पेश की जिसे माननीय आर.ए.ए. ने अपने आदेश दिनांक 20.7.1993 से श्रीपति की अपील खारिज करदी जिस पर श्रीपति ने अपील नम्बरी 31/1993 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जो कि राजस्व मण्डल अजमेर में उक्त अपील को स्वीकार करते हुये अपने आदेश दिनांक 25.7.1997 से अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 15.6.1992 एंव आर. ए.ए. के आदेश दिनांक 20.7.1993 को अपास्त कर दिया अपीलार्थी के नाम खातेदारी अधिकारों को बहाल कर दिया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की पालना

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

में तहसीलदार धौलपुर द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 475 तारीखी 5.7.2006 को अप्रार्थी के पिता श्रीपति के नाम इन्द्राजात कर दिये है इसी आधार पर अप्रार्थी के पिता श्रीपति के इन्द्राजात आज भी बदस्तूर है। उसके बाद श्रीपति ने एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 7.7.2006 से अपने आराजी खसरा नम्बर 70/398 व 431/68 के खातेदारी अधिकारों को अप्रार्थी संख्या–2 लाखन सिंह के नाम अन्तरित कर दिया और तभी से अप्रार्थी बिना किसी विघ्न बाधा के उपयोग व उपभोग में लेता चला आ रहा है। वैसे भी प्रार्थी नामान्तकरण संख्या 128 के रिकार्ड को रीस्टोर कराना चाहता है वह कृषि भूमि के बावत है जो कि अब कृषि भूमि नहीं है और उक्त कृषि भूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी है और अब नगरपरिषद के नाम दर्ज है एवं उक्त विवादित आराजीयात में से एन.एच 11बी धौलपुर से करौली की पक्की सडक का निर्माण हो गया है। इस प्रकार विवादित आराजीयात व कृषि भूमि नहीं रही है और वर्तमान में रिकार्ड व मौके की स्थिति परिवर्तित हो चुकी है इसलिये प्रार्थी के नामान्तकरण संख्या 128 को पुर्नजीवित कराया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

दोराने वहस अप्रार्थी संख्या–2 के अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश–07 नियम–11(क)(घ) जा0दी0 पेश किया जिसकी नकल अभिभाषक प्रार्थी एवं राजकीय अभिभाषक को दिलाई गई। अप्रार्थी संख्या–2 ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि विवादित आराजी वर्तमान में उक्त भूमि की किस्म कृषि भूमि नहीं होकर रूपान्तरित आवासीय व अरूपान्तरित आवासीय भूमि है और उक्त भूमि आवासीय प्रयोजन के लिये नगर परिषद धौलपुर द्वारा 90बी की जा चुकी है जिसे कि माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र को सुनबाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई केवल मात्र सिविल न्यायालय द्वारा पोषणीय है। नगर परिषद धौलपुर ने धौलपुर का टाउन प्लान जारी किया है जिसमें विवादित आराजी को आवासीय भूमि के रूप में परिर्यतित कर दिया है। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 के खण्ड ख में आवादी भूमि को परिभाषित किया गया है। नामान्तकरण संख्या 128 जिसका रेस्टोर किया जाना सम्भव नहीं है जिसमें अप्रार्थी लाखनसिंह के पिता स्व0 श्रीपति का नाम रिकार्ड के अनुसार खातेदार काश्ताकार है जो कि अनुसूचित जाति व्यक्ति है जिनकी कृषि भूमि को किसी सामान्य जाति के व्यक्ति नाम अन्तरित करने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी के प्रावधान के तहत अन्तरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या–2 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत बिधि द्वारा बर्जित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र आधीन धारा 144 जा0 दी0 एवं अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन आदेश–07 नियम–11 (क) (घ) जा0दी0 उक्त दोनो प्रार्थना

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

पत्र पर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 68/397 पर नामान्तकरण संख्या 128 से विकयपत्र तारीखी 17.12.84 पंजीबद्व तारीखी 18.12.84 के द्वारा केतागण तुलसीराम कंचन व राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से श्रीपति से कय करके कब्जा प्राप्त किया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 128 स्वीकार हुआ। उक्त नामान्तकरण संख्या 128 रैफरेन्स 82 एलआरएक्ट के तहत उनवानी सरकार बनाम तुलसीराम कंचन प्रकरण संख्या 128/94 में आदेश तारीखी 25.6.96 द्वारा नामान्तकरण संख्या 128 को निरस्त करने के आदेश देते हुये रैफरेन्स राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्वीकार किया। नामान्तकरण संख्या 265 से उक्त आराजी सिवायचक दर्ज करदी गई। उक्त आदेश के खिलाफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 6440/1998 की गई जो दिनांक 4.5.2006 को स्वीकार हुई तथा न्यायालय श्रीमान का आदेश 25.6.96 व राजस्व मण्डल अजमेर का आदेश 5.2.97 निरस्त कर दिये गये तथा जो पूर्व के इन्द्राजात तुलसीराम कंचन आदर्श विद्या मंदिर के पुनः दर्ज करने बावत हुआ। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश तारीखी 4.5.2006 की पालना हेतु न्यायालय श्रीमान में प्रार्थना पत्र 144 जा0दी0 पेश किया गया है जिसकी पालना कराई जावे। अप्रार्थी संख्या-2 ने जो प्रार्थना पत्र आदेश-07 नियम-11 जा0दी0 का पेश किया गया है वह दावे में लागू होता है यह रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र है जहॉ केवल पूर्व की स्थिति आदेश अपास्त होने की स्थिति में रेस्टोर होना जरूरी है। रेस्टोरेसन के प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होती है। श्रीपति सन 1984 में अपनी सम्पूर्ण आराजी विकय कर चुका है उसके बाद उसने जो इन्द्रांज कराये है वह गलत है। आराजी खसरा नम्बर 431/68 (68/397) रकवा 4 बीघा 11 विस्वा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में है जो आबादी भूमि नहीं है गलत कथन किया गया है केवल पूर्व में विकय 1 बीघा 8 विस्वा भूमि रूपान्तरण करा कर विकय की थी वह खसरा नम्बर 432/68 आबादी नगर परिषद है जो विवादित नहीं है न उसके बावत रेस्टोर का प्रार्थना पत्र है। फेगमेंट व धारा 42 आर टी एक्ट का कोई उल्लधंन नहीं है। तुलसीराम कंचन व राकेश कुमार के नाम दर्ज थे वहीं होने है वह अनुसूचित जाति के सदस्य है। खसरा नम्बर 431/68 (68/397) रकवा 4 बीघा 11 विस्वा की 90वी की कोई कार्यवाही नही हुई है। हाईकोर्ट का जो आदेश हुआ है उसमें लाखनसिंह की रिट खारिज हुई है। उन्होने अपने कथनों के समर्थन में आर आर टी 2018-19 पेज-357, आर आर टी 2018 पेज 383, आर आर डी 1998 पेज 569 के न्यायिक दृष्टांत पेश कर अप्रार्थी संख्या-2 का प्रार्थना पत्र आदेश-07 नियम-11 जा0दी0 खारिज किये जाने तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधीन धारा 144 जा0 दी0 स्वीकार फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 128 के रिकार्ड को रीस्टोर कराना

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

चाहता है वह कृषि भूमि के बावत है जो कि अब भी कृषि भूमि है और उक्त कृषि भूमि की किस्म परिवर्तित हो चुकी है और अब नगरपरिषद के नाम दर्ज है एवं उक्त विवादित आराजीयात में से एन.एच 11बी धौलपुर से करौली की पक्की सडक का निर्माण हो गया है। इस प्रकार विवादित आराजीयात कृषि भूमि नहीं रही है और वर्तमान में रिकार्ड व मौके की स्थिति परिवर्तित हो चुकी है इसलिये प्रार्थी के नामान्तकरण संख्या 128 को पुर्नजीवित नहीं किया जा सकता जिसके कारण माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र को सुनबाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई केवल मात्र सिविल न्यायालय द्वारा पोषणीय है। नगर परिषद धौलपुर ने धौलपुर का टाउन प्लान जारी किया है जिसमें विवादित आराजी को आवासीय भूमि के रूप में परिर्वतित कर दिया है। प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 103 के खण्ड ख में आवादी भूमि को परिभाषित किया गया है। नामान्तकरण संख्या 128 जिसका रेस्टोर किया जाना सम्भव नहीं है जिसमें अप्रार्थी लाखनसिंह के पिता स्व0 श्रीपति का नाम रिकार्ड के अनुसार खातेदार काश्ताकार है जो कि अनुसूचित जाति व्यक्ति है जिनकी कृषि भूमि को किसी सामान्य जाति के व्यक्ति नाम अन्तरित करने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42बी के प्रावधान के तहत अन्तरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर आर टी 2011–12 पेज 311, आर आर टी 2012(2) पेज 1279, 1283, राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 पेज 200, 43, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेज–53, 109, 112 के न्यायिक नजीरें पेश कर प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या–2 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र आधीन धारा 144 जा0दी0 सिबिल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत बिधि द्वारा बर्जित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर 68/397 बांके ग्राम झोर तहसील धौलपुर पर नामान्तकरण संख्या 128 से विकयपत्र तारीखी 17.12.84 पंजीबद्व तारीखी 18.12.84 के द्वारा केतागण तुलसीराम कंचन व राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से श्रीपति से कय करके कब्जा प्राप्त किया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 128 स्वीकार हुआ। उक्त नामान्तकरण संख्या 128 रैफरेन्स 82 एलआरएक्ट के तहत उनवानी सरकार बनाम तुलसीराम कंचन प्रकरण संख्या 128/94 में आदेश तारीखी 25.6.96 द्वारा नामान्तकरण संख्या 128 को निरस्त करने के आदेश देते हुये रैफरेन्स राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्वीकार किया। नामान्तकरण संख्या 265 से उक्त आराजी सिवायचक दर्ज करदी गई। उक्त आदेश के खिलाफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 6440/1998 की गई जो दिनांक 4.5.2006 को स्वीकार हुई तथा न्यायालय श्रीमान का आदेश 25.6.96 व राजस्व मण्डल

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अजमेर का आदेश 5.2.97 निरस्त कर दिये गये तथा जो पूर्व के इन्द्रांजात तुलसीराम कंचन आदर्श विधा मंदिर के पुनः दर्ज करने के आदेश पारित किये है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश तारीखी 4.5.2006 की पालना हेतु प्रार्थना पत्र 144 जा0दी0 पेश किया है।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 ने प्रार्थना पत्र आदेश-07 नियम-11 जा0दी0 के माध्यम से बहस के दौरान जो कथन किये है वह दावे में लागू होता हैं, यह रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र है जहॉं केवल पूर्व की स्थिति आदेश अपास्त होने की स्थिति में रेस्टोर होना है। रेस्टोरेसन के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना पत्र आदेश-07 नियम-11 जा0दी0 लागू नहीं होता है जिसके कारण अप्रार्थी संख्या-2 का प्रार्थना पत्र आदेश-07 नियम-11 जा0दी0 पोषणीय नहीं होने कारण अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रार्थना पत्र 144 जा0दी0 पर चस्पा नहीं होते है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 6440/1998 जो दिनांक 4.5.2006 को स्वीकार हुई है, इस एस बी सिविल रिट याचिक के विरूद्व अन्य कोई अपील हुई हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 6440/1998 जो दिनांक 4.5.2006 को स्वीकार हुई है वह अतिम्न हो चुकी है जिसकी पालना कराया जाना न्यायिक दृष्टि से हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधीन धारा 144 जा0 दी0 स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन आदेश-07 नियम-11 (क) (घ) जा0दी0 पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः तहसीलदार धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधीन धारा 144 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6440/1998 निर्णय दिनांक 4.5.2006 की पालना में नामान्तकरण संख्या 128 बांके गाम झोर तहसील व जिला धौलपुर को राजस्व रिकार्ड में पुर्नजीवित (रेस्टोर) करने के आदेश दिये जाते है। इसकी नियमानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट भिजवायें एवं अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन आदेश-07 नियम-11 (क) (घ) जा0दी0 पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र के. वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)